फौज.प्र.क. : 1015 / 2014

<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> {समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

<u>फौज.प्र.क. : 1015 / 2014</u> संस्थित दि: 31 / 10 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,	
अन्तर्गत चौकी उकवा, जिला बालाघाट (म.प्र.)	अभियोर्ग

विरुद्ध

तीजनबाई पति बनवासी रागड़े उम्र 45 साल, जाति छतिया, निवासी बाजार चौकी उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 31/10/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी दिनांक 15.10.2014 को समय 06:30 बजे ग्राम बाजार चौकी उकवा तिराह चौकी उकवा थाना रूपझर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक थैले में 180 एम.एल. की सफेद प्लेन आठ पाव एवं 180 एम.एल. की लाल मसाला 7 पाव जुमला 15 पाव शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञाप्ति के रखे हुए पायी गई।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि चौकी उकवा में पदस्थ संतोष सिंह यादव दिनांक 15.10.204 को जुर्म जयराम की पतासजी हेतु हमराह स्टाप के साथ रवाना हुआ तो उसे करबा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला बाजार चौकी उकवा तिराह चौकी उकवा में अवैध रूप से शराब लेकर आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबन्दी कर आरोपी को पकड़कर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक थैले में 180 एम.एल. की सफेद प्लेन आठ पाव एवं 180 एम.एल. की लाल मसाला 7 पाव जुमला 15 पाव शराब अवैध रूप से रखे पाया

फौज.प्र.क. : 1015 / 2014

गई। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से उक्त शराब को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध शून्य पर कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था जिस पर थाना यपझर की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 127/14 लेखबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(क) के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
 - (अ) क्या आरोपी दिनांक 15.10.2014 को समय 06:30 बजे ग्राम बाजार चौकी उकवा तिराह चौकी उकवा थाना रूपझर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक थैले में 180 एम.एल. की सफेद प्लेन आठ पाव एवं 180 एम.एल. की लाल मसाला 7 पाव जुमला 15 पाव शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञाप्ति के रखे हुए पायी गई ?

—:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ः

- (05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट

फौज.प्र.क. : 1015 / 2014

होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

- आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में (80)दोषसिद्ध पाते हुए 1200 / - रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।
- अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह (09)के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।
- प्रकरण में जप्तशुदा 180 एम.एल. की सफेद प्लेन आठ पाव एवं (10) 180 एम.एल. की लाल मसाला 7 पाव जुमला 15 पाव शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, ALIMANA PAROLES SUNTA PROPERTY OF THE PAROLES AND PROPERTY बैहर, जिला बालाघाट